

अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

तारीख हुक्म

16.06.2025

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री देवीलाल कुमावत उपस्थित। विप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह सियाग उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 2, 4 से 9, 11 से 13, 15 से 17, 19, 21, 24 व 26 से 28 नोटिस तामील होने के बावजूद अनुपस्थित। अतः उनके के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस है कि प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने के लिए स्वतंत्र है। जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सेढा पर पक्की माटें व सीमा चिन्ह नहीं होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर काश्त करने से वंचित रह जाते हैं। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि स्थाई समाधान के लिए नेखमबन्दी आदेश प्रदान किया जावे। विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया उक्त आवेदन के संबंध में वर्तमान में विप्रार्थीगण कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, यदि नेखमबन्दी आदेश किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि के रिकार्डेड खातेदार होने से अपनी आराजी की नेखमबन्दी करवाने हेतु स्वतंत्र है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी बाबत आवेदन पेश किया गया है जबकि विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आवेदन का जवाब भी पेश नहीं किया गया है तथा उक्त नेखमबन्दी आदेश बाबत सहमति प्रदान की गई है। प्रार्थीगण उक्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार होने से अपनी खातेदारी की नेखमबन्दी करवाने हेतु स्वतंत्र है तथा साथ ही यदि पक्षकारान् को कोई उजर एतराज है तो वे नेखमबन्दी पालना के दौरान अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार किया जाकर पूर्व में सीमाज्ञान करते हुए नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा पाबूमाली, तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 594/507 रकबा 7.7700 हैक्टेयर एवं मौजा तेजरावा स्वांगियाजी, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 705/509 रकबा 1.6187 हैक्टेयर विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करें। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार वहन किया जायेगा। तत्पश्चात कार्यवाही विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक भीयाड़ को कम्प्लेनर नियुक्त किया जाता है। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण को पूर्व में जरीये नोटिस/पत्र से सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कम्प्लेनर शुल्क 500/- प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। मौके पर कब्जा काश्त को लेकर विवाद होने की स्थिति में नेखमबन्दी की कार्यवाही नहीं की जावे। आक्यकता होने पर एस.एच.ओ. शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। भू-अभिलेख निरीक्षक भीयाड़ बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो।

पत्रावली फौसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सुखरंजन अधिकारी
शिव (बाजपुर)

